

राजस्थान सरकार  
पर्यटन विभाग, जयपुर

क्रमांक : संस्था / एफ.3(252)पवि / 2001 / 14382

दिनांक : 04/01/2024

आदेश

श्री अजीत सिंह, जो पर्यटन विभाग में सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर के पद पर, पर्यटन राज्य सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी (Superannuation) आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 30.06.2024 से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री अजीत सिंह, सहायक निदेशक के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 एवं 17 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
3. कोई एफ.आई.आर./व्यक्तिगत जांच (Personal Enquiry)/शिकायत तथा न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।

आज्ञा से

६.

(चांदमल कोमल)  
शासन सहायक सचिव

क्रमांक : संस्था / एफ.3(252)पवि / 2001 / 14383 - १५

दिनांक : ५/१/१५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-ट) विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज0, जयपुर।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, राज0, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर।
8. उप निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर।
9. उप निदेशक (एसीपी), निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. लेखा शाखा, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर।
11. श्री अजीत सिंह, सहायक निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

२५/०१/२०२३

शासन सहायक सचिव